उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या- 30/2016/354/38-1-2016&15 टी0आर0/2013
लखनऊ: दिनांक: 23 फरवरी, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

स्थानान्तरण विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-29/2016/329/38-1-2016&15 टी0आर0 /2013, दिनांक 19 फरवरी, 2016 की प्रथम पंक्ति मे श्री आत्म प्रकाश रस्तोगी, खण्ड विकास अधिकारी, उन्नाव के स्थान पर त्रुटिवश श्री राम गोपाल रस्तोगी, खण्ड विकास अधिकारी, उन्नाव अंकित हो गया है। अत: उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 फरवरी, 2016 की प्रथम पंक्ति में अंकित "श्री राम गोपाल रस्तोगी, खण्ड विकास अधिकारी, उन्नाव" के स्थान पर "श्री आत्म प्रकाश रस्तोगी, खण्ड विकास अधिकारी, उन्नाव" पढ़ा जाय।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 फरवरी, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

उमा कान्त मिश्र
उप सचिव

<u>संख्या- 30 /2016/354 (1)/38-1-2016 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव/गाजियाबाद।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी उन्नाव/गाजियाबाद ।
(5) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव ।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

उमा कान्त मिश्र
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।